



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102024-258095
CG-DL-E-21102024-258095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4211]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946

No. 4211]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4577(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4760 (अ) तारीख 30.09.2022 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा बिहार राज्य में बरौनी – गुवाहाटी पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइप लाइन, बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

बरौनी – गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना							
भूमि अनुसूची							
राज्य : बिहार							
जिला	अंचल	मौजा	थाना नं	सर्वे खेसरा संख्या	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
बेगूसराय	बरौनी	चकबल्ली	540	611	00	12	60
				610	00	11	80
				609	00	04	60
				608	00	05	00
				607	00	04	00
				606	00	02	20
				584	00	09	10
बेगूसराय	बरौनी	भभौर	548	344	00	07	08
				343	00	02	00
				342	00	03	60
				341	00	01	82
				340	00	15	60
				339	00	03	99
				338	00	02	24
				337	00	02	24
				336	00	03	10
				335	00	04	44
				334	00	04	20
				333	00	01	60
बेगूसराय	बरौनी	सबौरा	554	163	00	02	33
				162	00	00	95
				156	00	01	04
				155	00	00	13
बेगूसराय	बरौनी	दौलतपुर	555	44	00	02	72
बेगूसराय	बरौनी	रूपसपुर	553	510	00	14	46
				509	00	04	46
बेगूसराय	बरौनी	केसाबे	557	1568	00	03	20
				1550	00	00	26

				1517	00	02	85
				1516	00	03	51
				1506	00	10	16
				1504	00	14	44
बेगूसराय	बरौनी	मकरदही	559	278	00	00	19
				480	00	00	88
बेगूसराय	बेगूसराय	उलाव	412	1888	00	00	04
				1908	00	09	80
				2357 / 2504	00	12	63
				2357	00	04	00
				2351 / 2506	00	02	96
				2348 / 2523	00	02	60
				2536	00	03	20
बेगूसराय	बेगूसराय	उलाव	412	2361 / 2572	00	00	82
				2569 / 2528	00	03	10
				2530	00	01	90
				2532	00	01	40
				2534	00	02	80
				2529	00	00	38
				2527	00	04	37
				2520	00	00	19
				2526	00	00	53
				2522	00	03	80
बेगूसराय	बेगूसराय	पसपुरा	406	614	00	01	10
				615	00	02	10
				616	00	01	30
				618	00	03	84
				619	00	00	75
				620	00	01	47
				621	00	05	70
				622	00	01	26
				623	00	01	74
				625	00	01	10
				626	00	02	50
				627	00	02	70
				628	00	02	00
				629	00	00	76
				630	00	09	80
				631	00	14	70

				632	00	03	40
				633	00	07	48
बेगूसराय	बेगूसराय	सूजा	350	1294	00	00	11
बेगूसराय	बेगूसराय	कैथ	335	257	00	00	31
बेगूसराय	बेगूसराय	चांदपुरा	240	1533	00	20	91
बेगूसराय	डंडारी	कटरमाल	245	3624	00	00	08

[फा. सं. एल-14014/210/2022-जीपी-II (ई-44596)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2024

S.O. 4577(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 4760(E) dated 30.09.2022 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Barauni – Guwahati pipeline in the State of Bihar by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT							
LAND SCHEDULE							
STATE - BIHAR							
District	Anchal	Village	JL No.	Survey Plot No.	Area		
					Hect.-	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6		
Begusarai	Barauni	Chakballi	540	611	00	12	60
				610	00	11	80
				609	00	04	60
				608	00	05	00
				607	00	04	00
				606	00	02	20
Begusarai	Barauni	Bhabhaur	548	584	00	09	10
				344	00	07	08
				343	00	02	00
				342	00	03	60
				341	00	01	82
				340	00	15	60
				339	00	03	99

				338	00	02	24
				337	00	02	24
				336	00	03	10
				335	00	04	44
				334	00	04	20
				333	00	01	60
Begusarai	Barauni	Sabaura	554	163	00	02	33
				162	00	00	95
				156	00	01	04
				155	00	00	13
Begusarai	Barauni	Daulatpur	555	44	00	02	72
Begusarai	Barauni	Rupaspur	553	510	00	14	46
				509	00	04	46
Begusarai	Barauni	Kesabe	557	1568	00	03	20
				1550	00	00	26
				1517	00	02	85
				1516	00	03	51
				1506	00	10	16
				1504	00	14	44
Begusarai	Barauni	Makardahi	559	278	00	00	19
				480	00	00	88
Begusarai	Begusarai	Ulaio	412	1888	00	00	04
				1908	00	09	80
				2357/2504	00	12	63
				2357	00	04	00
				2351/2506	00	02	96
				2348/2523	00	02	60
				2536	00	03	20
				2361/2572	00	00	82
				2569/2528	00	03	10
Begusarai	Begusarai	Ulaio	412	2530	00	01	90
				2532	00	01	40
				2534	00	02	80
				2529	00	00	38
				2527	00	04	37
				2520	00	00	19
				2526	00	00	53
				2522	00	03	80
Begusarai	Begusarai	Paspura	406	614	00	01	10
				615	00	02	10
				616	00	01	30
				618	00	03	84
				619	00	00	75
				620	00	01	47
				621	00	05	70
				622	00	01	26
				623	00	01	74
				625	00	01	10

				626	00	02	50
				627	00	02	70
				628	00	02	00
				629	00	00	76
				630	00	09	80
				631	00	14	70
				632	00	03	40
				633	00	07	48
Begusarai	Begusarai	Suja	350	1294	00	00	11
Begusarai	Begusarai	Kaith	335	257	00	00	31
Begusarai	Begusarai	Chandpura	240	1533	00	20	91
Begusarai	Dandari	Katarmal	245	3624	00	00	08

[F. No. L-14014/210/2022-GP-II (E-44596)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4578(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4988 (अ) तारीख 26.11.2021 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा बिहार राज्य में बरौनी – गुवाहाटी पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइप लाइन, बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

बरौनी – गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना							
भूमि अनुसूची							
राज्य : बिहार							
जिला	अंचल	मौजा	थाना नं	सर्वे खेसरा संख्या	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
बेगूसराय	डंडारी	तेतरी करारी	298	1724	00	07	40

				1721	00	01	38
				1725	00	06	67
				1726	00	06	15
				1727	00	03	80
				1728	00	00	10
				1703	00	02	52
				1702	00	25	57
				1698	00	01	46
				1697	00	02	11
				1694	00	05	12
				1695	00	02	59
				1993	00	00	40
				1670	00	08	10
				1671	00	05	38
				1672	00	02	00
				1606	00	01	50
				1603	00	06	35
				1602	00	07	25
				1600	00	00	10
				1601	00	10	20
				1595	00	01	93
				1610	00	01	20
				1611	00	06	30
				1612	00	10	87
				1662	00	03	16
				1661	00	03	60
				1660	00	03	40
				1659	00	07	70
				1658	00	08	50
				1650	00	12	25
				1648	00	06	20
				1647	00	00	12
				1651	00	00	95
				1646	00	09	29
बेगूसराय	डंडारी	तेतरी बरारी	299	36	00	02	35
				34	00	06	85
				35	00	07	05
				51	00	05	63

				52	00	11	38
बेगूसराय	डंडारी	तेतरी बरारी	299	29	00	00	22
				30	00	10	10
				55	00	00	75
				56	00	06	25
				57	00	00	33
				58	00	11	67
				63	00	00	56
				64	00	10	77
				60	00	22	25
				1	00	11	27

[फा. सं. एल-14014 / 210 / 2022-जीपी-II (ई-44596)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

New Delhi, the 11th October, 2024

S.O. 4578(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 4988(E) dated 26.11.2022 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Barauni – Guwahati pipeline in the State of Bihar by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT							
LAND SCHEDULE							
STATE - BIHAR							
District	Anchal	Village	JL No.	Survey Plot No.	Area		
					Hect.-	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6		
Begusarai	Dandari	Tetri Karari	298	1724	00	07	40
				1721	00	01	38
				1725	00	06	67
				1726	00	06	15
				1727	00	03	80
				1728	00	00	10
				1703	00	02	52
				1702	00	25	57

				1698	00	01	46
				1697	00	02	11
				1694	00	05	12
				1695	00	02	59
				1693	00	00	40
				1670	00	08	10
				1671	00	05	38
				1672	00	02	00
				1606	00	01	50
				1603	00	06	35
				1602	00	07	25
				1600	00	00	10
				1601	00	10	20
				1595	00	01	93
				1610	00	01	20
				1611	00	06	30
				1612	00	10	87
				1662	00	03	16
				1661	00	03	60
				1660	00	03	40
				1659	00	07	70
				1658	00	08	50
				1650	00	12	25
				1648	00	06	20
				1647	00	00	12
				1651	00	00	95
				1646	00	09	29
Begusarai	Dandari	Tetri Barari	299	36	00	02	35
				34	00	06	85
				35	00	07	05
Begusarai	Dandari	Tetri Barari	299	51	00	05	63
				52	00	11	38
				29	00	00	22
				30	00	10	10
				55	00	00	75
				56	00	06	25
				57	00	00	33
				58	00	11	67
				63	00	00	56
				64	00	10	77
				60	00	22	25
				1	00	11	27

[F. No. L-14014/210/2022-GP-II (E-44596)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4579(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4717 (अ) तारीख 08.11.2021 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा बिहार राज्य में बरौनी – गुवाहाटी पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइप लाइन, बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

बरौनी – गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना							
भूमि अनुसूची							
राज्य : बिहार							
जिला	अंचल	मौजा	थाना नं	सर्वे खेसरा संख्या	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
खगड़िया	खगड़िया	गंगौर	244	1418	00	04	69
				1691	00	00	51
				1690	00	06	15
				1678	00	09	00
				1676	00	01	90
				1679	00	09	77
				1673	00	11	28
				1672	00	00	75
				1671	00	10	43
				1670	00	02	02
				1661	00	07	00
				1663	00	01	25
				1662	00	02	00
				1550	00	02	46

	1828	00	02	68
	1827	00	00	45
	1826	00	00	10
	1829	00	01	72
	1830	00	00	20
	1833	00	00	10
	1831	00	01	90
	1832	00	00	13
	1836	00	01	70
	1837	00	00	70
	1835	00	00	80
	1834	00	02	40
	1851	00	01	75
	1854	00	02	85
	2021	00	11	33

[फा. सं. एल-14014/210/2022-जीपी-II (ई-44596)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

New Delhi, the 11th October, 2024

S.O. 4579(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 4717(E) dated 08.11.2021 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Barauni – Guwahati pipeline in the State of Bihar by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT							
LAND SCHEDULE							
STATE - BIHAR							
District	Anchal	Village	JL No.	Survey Plot No.	Area		
					Hect.-	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6		
Khagaria	Khagaria	Gangaur	244	1418	00	04	69
				1691	00	00	51
				1690	00	06	15

	1678	00	09	00
	1676	00	01	90
	1679	00	09	77
	1673	00	11	28
	1672	00	00	75
	1671	00	10	43
	1670	00	02	02
	1661	00	07	00
	1663	00	01	25
	1662	00	02	00
	1550	00	02	46
	1828	00	02	68
	1827	00	00	45
	1826	00	00	10
	1829	00	01	72
	1830	00	00	20
	1833	00	00	10
	1831	00	01	90
	1832	00	00	13
	1836	00	01	70
	1837	00	00	70
	1835	00	00	80
	1834	00	02	40
	1851	00	01	75
	1854	00	02	85
	2021	00	11	33

[F. No. L-14014/210/2022-GP-II (E-44596)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.